न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **75/2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री रामस्वरूप पिता लादूराम पटवारी पटवारियों के मन्दिर के पास , माण्डल —अपीलार्थी **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाड़ा —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : **12.11.2018**

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 26.08.2018 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 922328 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 08.05.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.05.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 05.09.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा द्वारा दिनांक 22.10.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 08.05.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम माण्डल में चरनोट में नाजायज कब्जे की कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का माण्डल द्वारा प्रस्तुत नही की गयी। जिससे अपीलार्थी को नकल दिया जाना संभव नही होने से अपील खारिज की जाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर तहसीलदार माण्डल को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम माण्डल के पेटा तालाब आराजी नं. 1809 से लगायत 1814 व 1803 में हुये अतिक्रमण की पी —14 की प्रतिलिपि चाही गयी। आप स्वयं रिकार्ड का परीक्षण कर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध कराकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान् को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा